चीनी के लाइसेंसों की समीक्षा

1866. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी के कारखानों की स्थापना के लिये 1990-91 में जारी किये गये लाइसेंसों की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री तरुण गोगोई) : इस समय आगे समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में मत्स्य-पालन उद्योग के विकास के लिये धनराशि

1867. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने मध्य प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मत्स्य-पालन उद्योग के समेकित विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई निधियों का पूर्ण उपयोग किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मात्स्यिकी उद्योग के एकीकृत विकास के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश कोई कोई धनराशि मंजूर नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि पर आधारित उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता

1868. **कुमारी आलिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार, कृषि पर आधारित कितने उद्योगों को मंजूरी दी गई और ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मुख्यतया इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा गठित बोर्डों और निगमों द्वारा एक सीमित हद तक दी जाने वाली वित्तीय सहायता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है । पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,

खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग तथा खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसी कुछ सहायता दी गई है, जिसका ब्यौरा अनुपत्र–1, 2 और 3 में दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट 160, अनुपत्र संख्या 66, 67, 68] ।

(ख) कृषि पर आधारित अधिकतर उद्योग छोटे पैमाने और बहुत छोटे पैमाने के क्षेत्रों में लगाये जाते हैं ।उन्हें इस प्रयोजन के लिये किसी स्वीकृति या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है । उनका पंजीकरण राज्य सरकारों के स्तर पर किया जाता है । विकास आयुक्त, लघु उद्योग के यहां उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1988–89 तक तीन सालों में लगाये गये ऐसे उद्योगों की संख्या अनुपत्र–4 में दी गई है । [देखिये परिशिष्ट 160, अनुपत्र संख्या 69] ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 11 राज्यों से आठ चीनी फैक्टरियों, सात तिलहन मिलों और पांच अन्य परिसंस्करण परियोजनाओं सहित 20 कृषि परिसंस्करण परियोजनाओं के लिये लगभग 36.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध मिला है । इन प्रस्ताव के लिये 20.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता पहले ही स्वीकृति की जा चुकी है । खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा लघु और ग्रामीण तथा कृषि उद्योग विभाग को, जो ऐसी सहायता के मामलों में कार्यवाही करते हैं । अतिरिक्त सहायता के लिये कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

Crops covered under comprehensive Crop Insurance Scheme

1869. KUMARI ALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the crops covered under the Comprehensive Crop Insurance Schemes, State-wise;

(b) whether Government propose to bring all the crops in various States under the above scheme; and

(c) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) A Statement is enclosed.

(b) and (c) Presently wheat, paddy, millets, oilseeds and pulses are covered under the Comprehensive Crop Insurance Scheme (CCIS). There is no proposal to extend the CCIS to all the crops in different states. However, demands have been made in the past for including more crops under the CCIS. These demands are in respect of fruit and horticulture crops, cotton, coconut, sugarcane, betal leaves, jute and some vegetable crops. Since the Central and State Governments are incurring heavy losses in running the Scheme and in view of operational difficulties such as multipicking, absence of reliable yield data, it has not been found feasible to include other crops under the CCIS for the present.